

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर

क्रमांक :- एफ:2 (95) एससीएसपी/सम्बल/गा.लाईन/सान्याअवि/2018-19/2274 जयपुर, दिनांक: 1.4.2021

**सम्बल ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी किये जाने वाले संशोधित दिशा-निर्देश**

सम्बल ग्राम विकास योजना की क्रियान्विति हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत कराये गये विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त वर्तमान परिस्थितियों, एवं आवश्यकता के अनुसार सम्बल ग्राम विकास योजना हेतु पूर्व में जारी किये गये समस्त दिशा-निर्देशों को प्रत्याहरित (Withdraw) करते हुए निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. **योजना का नाम:-** सम्बल ग्राम विकास योजना
2. **योजना का उद्देश्य:-** चयनित सम्बल ग्रामों में विभिन्न विभागों द्वारा किये गये/ किये जा रहे आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त आवश्यक Critical Gaps Filling इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों की सुविधाएं प्रदान कर सम्बल ग्रामों का समग्र विकास करना।
3. **सम्बल ग्राम:-** सम्बल ग्राम से तात्पर्य उस ग्राम से है जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या उस ग्राम की कुल जनसंख्या के अनुपात में 40 प्रतिशत या उससे अधिक है।
4. **स्वीकृत राशि सीमा:-** आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु Critical Gaps Filling हेतु प्रति सम्बल ग्राम 10.00 लाख रुपये तक के कार्य करवाये जा सकते हैं।
5. **योजनान्तर्गत स्वीकृति योग्य कार्य:-**
  - (1) **आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु-**
    - (i) सीमेन्ट कंक्रीट सड़क
    - (ii) इन्टर लॉकिंग सड़क
    - (iii) नाली निर्माण
    - (iv) खरंजा एवं कलवर्ट/रपट/पुलिया निर्माण
    - (v) सामुदायिक ट्यूबवैल (समुदाय द्वारा संचालित किये जाने की स्थिति में)
    - (vi) विद्यालयों/महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष/ लैब इत्यादि का निर्माण
    - (vii) बस्ती विद्युतिकरण के कार्य
    - (viii) डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/चारदीवारी (जहां पहले से अम्बेडकर भवन नहीं हो)।

- (ix) चिकित्सा भवनो हेतु अतिरिक्त कक्ष/ लैब इत्यादि का निर्माण
- (x) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
- (xi) आंगनबाडी केन्द्र।
- (xii) सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (शौचालय के रख रखाव व संचालन का कार्य ग्राम समिति द्वारा किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में ही निर्माण करने की स्वीकृति दी जावेगी)।
- (xiii) पेयजल हेतु Pipeline /GLR/PSP/CWT
- (xiv) विभिन्न विभागों से संबंधित आवश्यक आधारभूत संरचना के कार्य।
- (xv) अनुसूचित जाति के छात्रावासों के मरम्मत, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य।

#### 6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति:-

- (i) सामुदायिक लाभ की सुविधाओं के प्रस्ताव संबल ग्रामवार तैयार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा संकलित प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) की अभिषंशा उपरान्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हिकरण एवं स्वीकृति हेतु बिन्दु संख्या 9 के अनुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किये जायेगे। उक्त प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण एवं प्राथमिकता के आधार पर उक्त समिति की अनुषंशा के पश्चात जिला कलक्टर द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेगी।
- (ii) योजनान्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव/रूपरेखा तैयार कर पत्रावली विकास अधिकारी पंचायत समिति/अन्य विभागीय कार्यकारी एजेन्सी द्वारा इस आशय की टिप्पणी अंकित कर भिजवाया जायेगा कि प्रस्ताव में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 की गाईड लाईन की पूर्ण पालना की गई है तथा यह कार्य अन्य योजना में निर्मित, अपूर्ण या प्रस्तावित नहीं है।
- (iii) विभागीय नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति जिला स्तर पर सक्षम स्तर से जारी की जावेगी।
- (iv) आधारभूत संरचना के कार्यों का क्रियान्वन कार्यकारी एजेन्सी प्राथमिकता के तौर पर राजकीय विभागों/पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से कराया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किये जाने की स्थिति में कोई अतिरिक्त राशि प्रशासनिक व्यय अथवा अन्य किसी चार्जज के लिए इस योजना से नहीं दी जा सकेगी।
- (v) कार्यों की क्रियान्विति प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही की जा सकेगी।



7. आधारभूत संरचना के कार्यों एवं सामुदायिक लाभ की सुविधाओं की क्रियान्विति के दौरान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, पीडब्लूएफ एण्ड एआर तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।

8. सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्रावधित/आवंटित राशि का उपयोग आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार के कार्यों हेतु अन्य योजनाओं की सम-प्रयोजन हेतु प्रावधित राशि के साथ Dovetail कर किया जा सकेगा।

9. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यों का चिन्हिकरण, प्राथमिकता निर्धारित करने एवं कार्यों की स्वीकृति के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- जिला कलक्टर अध्यक्ष
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र) सदस्य सचिव
- उप निदेशक/सहायक निदेशक  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सदस्य

10. संबल ग्राम विकास योजनान्तर्गत पृथक-पृथक राशि संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को दो किस्तों कमशः प्रथम किस्त 70 प्रतिशत राशि, द्वितीय किस्त 30 प्रतिशत राशि में किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने तथा उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही जिला परिषद द्वारा द्वितीय किस्त का हस्तान्तरण किया जावेगा।

11. जिले को स्वीकृत एवं आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृत एवं आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय एवं देयता (Liability) उत्पन्न होने की स्थिति में राशि का भुगतान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 द्वारा नहीं किया जावेगा तथा देयता राशि का वहन स्वयं कार्यकारी संस्था को करना होगा।

12. कार्यों की स्वीकृतियां जारी होने, क्रियान्वयन एजेन्सी/संस्था निर्धारित होने के उपरान्त कार्यों की प्रगति एवं प्रभावी मोनिटरिंग हेतु संबंधित कार्यकारी संस्था व जिला परिषद उत्तरदायी होंगे।

13. योजनान्तर्गत आवंटित राशि से कार्यकारी संस्था/जिला परिषद/पंचायत समिति/निगम या अन्य किसी भी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की चल/अचल संपत्ति स्वयं के उपयोग हेतु निष्पादित नहीं की जावेगी एवं न ही उक्त राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ/अस्थायी अग्रिम/अन्य योजना हेतु किया जा सकेगा।

14. योजनान्तर्गत आवंटित राशि के आय-व्यय लेखे राज्य सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि की जांच/आडिट हेतु सदैव खुले रहेंगे।

15. निर्माण कार्यो हेतु तकमीना नवीनतम प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका अथवा सम्बन्धित विभाग की नवीनतम प्रचलित बी.एस.आर. के अनुरूप ही होंगे।
16. निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि का नियमानुसार निःशुल्क हस्तान्तरण विभाग के हक में होने के उपरान्त ही निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी की जावे।
17. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के संचालन, संधारण, मरम्मत, अनुरक्षण एवं रखरखाव इत्यादि हेतु भविष्य में कोई भी राशि देय नहीं होगी।
18. कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के एक माह की समयावधि में कार्य प्रारम्भ कराया जाना आवश्यक होगा।
19. उपरोक्त पैरा 9 में वर्णित समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना में स्वीकृत नहीं हुए एवं भुगतान का दोहरान नहीं हो।
20. उक्त योजनान्तर्गत किसी भी कार्य को स्वीकृत करने, निरस्त करने या संशोधन करने एवं योजना की क्रियान्विति हेतु कार्यकारी संस्था का निर्धारण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु अन्तिम निर्णय जिला स्तर पर गठित समिति का होगा।
21. राज्य निधि से संबल ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि का विभाग के स्तर से हस्तान्तरण संबंधित जिला परिषद को किया जायेगा एवं जिला परिषद योजनान्तर्गत निर्दिष्ट कार्यो में उपयोग कर उपरोक्तानुसार आवंटित राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कराये गये कार्यो का पृथक-पृथक विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर को प्रेषित करेंगे।
22. संबल योजना के तहत स्वीकृत कार्य/कार्यो की प्रगति/वित्तीय प्रगति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के Online portal पर समय-समय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सुनिश्चित करेंगे।

उक्त दिशा-निर्देश आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी होंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
 (गायत्री राजौड़)  
 प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :- एफ:2 (95) एससीएसपी/सम्बल/गा.लाईन/सान्याअवि/2018-19/2275- जयपुर, दिनांक: 1.4.2021  
2415

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. अति. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्राविप्र) समस्त।
11. परियोजना प्रबन्धक अनुजा प्रकोष्ठ, समस्त।
12. उप निदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि राज0 समस्त।
13. रक्षित पत्रावली।

37  
04/04/2021  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय.....

उपयोगिता प्रमाण पत्र

- ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... पं.स. .... जिला .....
1. कार्य का नाम .....
  2. योजना का नाम ..... कार्यकारी ऐजेन्सी .....
  3. वित्तीय स्वीकृत सं..... दिनांक ..... राशि .....
  4. वास्तविक कार्य का विवरण (मौके पर माप के अनुसार) .....
  5. माप पुस्तिका संख्या ..... पृष्ठ संख्या .....
  6. कार्य पर वास्तविक व्यय ..... (लेखों के अनुसार)  
अ. श्रम .....
  - ब. सामग्री ..... योग.....
  7. अनुमत राशि .....
- (अनुमत राशि वह राशि होगी जो स्वीकृत राशि की सीमा में वास्तविक व्यय एवं मूल्यांकन राशि में से जो भी कम हो)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य पर कुल राशि ..... का उपयोग कर लिया गया है। कार्य का क्रियान्वयन कार्य निर्देशिका-2010/विभागीय बी.एस.आर. के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

दिनांक :

(नाम .....) )

(हस्ताक्षर कार्यकारी संस्था के सक्षम अधिकारी)

पदनाम एवं कार्यालय का पता

कार्यालय.....

**कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र**

ग्राम ..... ग्राम पंचायत ...../पंचायत समिति...../जिला .....कार्य स्थल .....

1. कार्य का नाम.....(2) योजना का नाम ..... 3) कार्यकारी संस्था.....
2. प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/दिनांक
3. तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक
4. वित्तीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक
5. स्वीकृत राशि रूपये
6. कार्य शुरू करने की तिथि
7. कार्य पूर्ण होने की तिथि
8. कार्य पर व्यय लेखे के अनुसार  
अ. श्रम..... सामग्री ..... कुल राशि .....
9. मूल्यांकन के अनुसार  
अ. श्रम मद .....
- ब. सामग्री मद .....
- कुल राशि (अ+ब)
10. अनुमत राशि .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य का माप एवं मूल्यांकन ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010/विभागीय बी.एस.आर. के अनुसार किया गया है। उपरोक्त किये गये कार्य का मूल्यांकन उपरोक्त बिन्दु संख्या-9 में उल्लेखित है, जिसका उपयोग कर स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कार्य की फोटो ली जाकर संलग्न कर दी गई है। उक्त कार्य का माप का इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या ..... पृष्ठ संख्या ..... पर कर दिया गया है जिनकी प्रतियां संलग्न है। अनुमत राशि ..... समायोजन योग्य है। यह भी प्रमाणित किया गया है कि उपरोक्त सृजित परिसम्पत्ति प्राप्त करने वाले विभाग के सक्षम अधिकारी से रसीद प्राप्त कर ली है। इस कार्य का परिसम्पत्तियों के लिए संघारित पंजिका/रजिस्टर में क्रम सं ..... पर इन्द्राज कर लिया गया है।

हस्ताक्षर  
(कार्यकारी संस्था)

राजस्थान सरकार

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान**

संबल ग्राम विकास योजना का भौतिक एवं वित्तीय का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

जिले का नाम:-

प्रपत्र 'अ' भौतिक प्रगति का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(राशि लाखों में)

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	चयनित संबल ग्रामों की संख्या	योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	प्रारंभ किये गये कार्यों की संख्या	प्रक्रियाधीन कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	माह के अन्त तक व्यय की गयी राशि	विशेष विवरण
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									
2									
3									
4									
योग									

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद.....

जिले का नाम:-

प्रपत्र 'ब' वित्तीय प्रगति का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(राशि लाखों में)

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	प्रारंभित अवशेष राशि	वर्ष के दौरान माह तक प्राप्त राशि	माह तक कुल प्राप्त राशि (3+4)	माह तक व्यय की गयी राशि	अन्तिम शेष	भिजवाये गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								जिला परिषद स्तर योजनान्तर्गत यदि कोई राशि अवशेष है तो उसका विवरण यहाँ लिखें।
2								
3								
4								
5								
योग								

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद.....

\*पंचायत समिति स्तर पर उक्त सूचना ग्राम पंचायत वार तथा ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त सूचना ग्रामवार मय कार्यों की सूची के साथ प्रतिमाह तैयार कर अपने उच्च स्तर पर भिजवायेगे।

\*मासिक सूचनाएं में सभी सूचनाएं माह तक की कुल प्रगति दर्शायी जाये।